विविध बैंक प्र0सं0 45/2017 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यालय नई कृषि मण्डी श्रीगंगानगर बनाम 1–राजेन्द्रकुमार वाधवा पुत्र जगदीशचन्द वाधवा पता मकान न0 2 बी 25 सुखाडिया नगर (ऋणी व बंधककर्ता) वर्गरा 2– मैसर्स जगदीशचन्द्र सुरेन्द्र कुमार (ऋणी) पता दुकान न0 20–21 न्यू क्लॉथ मार्केट श्रीगंगानगर वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31–7–2017

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक श्री जलविन्द्र सिंह भंगू उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में दिनांक 11.07.2017 सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा **राजेन्द्र कुमार वाधवा, भूपेन्द्र कुमार वाधवा, रितु वाधवा, रेणु वाधवा** के खाता नं0 194000एनसी00052114 को दिनांक 05.08.2010 को तेईस लाख दस हजार **रूपए** ऋण स्वीकृत किया गया था और **मैसर्स जगदीश चन्द्र सुरेन्द्रकुमार के खाता सं0 1940009300076726 को** दिनांक 30.12.2014 को **एक करोड़ अस्सी लाख रूपए** ऋण स्वीकृत किया गया था इस प्रकार उक्त दोनो ऋणीया के खातो में कुल दो करोड़ तीन लाख दस हजार रूपये ऋण स्वीकृत किया गया। उक्त ऋणी फर्मो के उक्त दोनो खाते दिनांक 31.12.16 को एन.पी.ए. किये गये है। उक्त ऋणी **राजेन्द्र कुमार वाधवा, भूपेन्द्र कुमार वाधवा, रितु वाधवा, रेणु वाधवा** के खाता नं0 194000एनसी00052114 में पन्द्रह लाख पचास हजार एक रूपए व **मैसर्स जगदीश चन्द्र सुरेन्द्रकुमार के खाता सं0 1940009300076726 में एक करोड चोरासी लाख 15 हजार साठ रूपये बकाया है। इस प्रकार उक्त दोनो ऋणीयो के विरूऋ दिनांक 31.12.16 तक एक करोड़ निनावे लाख पैंसठ हजार इकसठ रूपये बकाया है** जो उक्त फर्मो द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद भी राशि जमा नही करवाने के कारण प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रा0 पत्र दिनांक 19.04.17 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त ऋणीयों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रा0 पत्र एवं उसके सलंग्न दस्तावेजात से प्रतीत होता है कि उक्त दोनो ऋणीया द्वारा संयुक्त रूप से ऋण नही लिया गया है बल्कि उक्त अप्रार्थीगण ऋणीयों ने अलग–2 रूप से भिन्न–2 तारीखों पर ऋण लिया है। इसलिए प्रत्येक ऋणी व फर्म के विरूद्ध सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही के लिए अलग–2 आवेदन पत्र प्रस्तुत होने चाहिए, जबकि उक्त दोनो ऋणी व फर्म के विरूद्ध एक ही आवेदन पत्र धारा 14 के तहत संयुक्त रूप से पेश किया गया है जो विधि सम्मत नही है। इसलिए प्राथी बैंक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र वापिस लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत मूल प्रा0 पत्र दिनांक 19.04.17 अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी अधिनियम 2002 व इसके सलंग्न समस्त कागजात वापिस लौटाकर प्रार्थी बैंक को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी बैंक प्रत्येक ऋणी व फर्म के विरूद्ध धारा 14 के अन्तर्गत अलग–2 प्रकरण तैयार कर पूर्ण दस्तावेज सहित प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। धारा 14 के प्रा0 पत्र की प्रति पत्रावली में रखी जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31–07–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर